भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.500

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN 225578

विक्रय–पत्र

1– प्रलेख का प्रकारः विक्रय--पत्र।

2-- विक्रयकर्ताः श्रीमती महरबानो आयु 50 वर्ष पत्नि श्री निजामुद्दीन भारती जाति मुसलमान भारती निवासिनी वार्ड नं0 1, मौहल्ला हुसैनगंज, सीकर तहसील व जिला सीकर।

3– क्रयकर्ताः प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन, पालवास रोड, सीकर जरिये सचिव श्रीमती उर्मिला आयु 27 वर्ष पत्नि श्री जोगेन्द्र सुण्डा जाति जाट निवासिनी पालवास रोड, सीकर तहसील व जिला सीकर।

4– विक्रयाधीन सम्पदाः ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर की तन में स्थित आराजी खसरा नं0 965 रकबा 2.30 हैक्टर बारानी तृतीय में से 0.56 हैक्टर भूमि विक्रय की जा रही है।

5– विक्रय राशिः 1,70,000/–रूपये अंकेही एक लाख सत्तर हजार रूपये मात्र।

6– मुद्रांक शुल्कः 12,000/–रूपये क्रमांक 6716 दिनांक 21 मार्च 2006 खण्ड–4.

उर्मिला

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

अ० नि० महरबानो

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN 225579

7— विशद्–विवरण

जो कि ग्राम नानी तहसील व जिला सीकर की तन में आराजी खसरा नं0 965 रकबा 2.30 हैक्टर बारानी तृतीय स्थित है, जिसकी तनहा काबिज, काश्तकार, खातेदार मैं निष्पादनकर्ती ही हूँ, तथा इस आराजी पर मुझ निष्पादनकर्ती के सिवाय अन्य किसी दीगर का कोई कब्जा, हक, अधिकार नहीं है। चूँकि वर्तमान में मुझ निष्पादनकर्ती को अपनी वैध निजी एवं पारिवारिक आवश्यक़ताओं की पूर्ति हेतु रूपयों की अत्यावश्यकता है, इस समय रूपये प्राप्ति का कोई जरिया न होने के कारण मुझ निष्पादनकर्ती ने अपनी उक्त वर्णित आराजी में से 0.56 हैक्टर भूमि को विक्रय करने का निश्चय कर इसी निश्चय के तहत आराजी खसरा नं0 965 रकबा 2.30 हैक्टर तन ग्राम नानी में से 0.56 हैक्टर भूमि को प्रिंस एकेडमी ऑफ़ हायर एज्यूकेशन, पालवास रोड़, सीकर जरिये सचिव श्रीमती उर्मिला आयु 27 वर्ष पत्नि श्री जोगेन्द्र सुण्डा जाति जाट निवासिनी पालवास रोड़, सीकर तहसील व जिला सीकर को बिलएवज 1,70,000/—रूपये अंकेही एक लाख सत्तर हजार रूपये मात्र के प्रतिफल में विक्रय कर विक्रय राशि सम्पूर्ण क्रयकर्ता से नगद प्राप्त कर विक्रीत आराजी पर कब्जा, काश्त क्रयकर्ता का करवा दिया है, तथा मैनें अपना कब्जा, काश्त कतई शून्य कर लिया है, तथा विक्रीत आराजी के विक्रय पेटे अब मुझ निष्पादनकर्ती को क्रयकर्ता से कुछ भी लेना बाकी नहीं रह गया है।

जो कि विक्रीत आराजी के बाबत आजतक जो हक, अधिकार, सुख, सुविधाएं, आदि मुझ निष्पादनकर्ती को प्राप्त थी, व भविष्य में प्राप्त होती, वे समस्त सुविधाएं अब आज से क्रयकर्ता को मेरे समान प्राप्त हो चुकी है, तथा भविष्य में भी प्राप्त होती रहेंगी। अब क्रयकर्ता को हक, अधिकार हो गये हैं कि वह इस विक्रीत आराजी को चाहे जिस प्रकार से प्रयुक्त करें, किसी को रहन या विक्रय करें, या अन्य किसी भी प्रकार से स्थानान्तरित करें, इसके लिये वह पूर्णतया सक्षम व साधिकारी है।

जो कि विक्रीत आराजी वर्तमान में हर प्रकार के ऋणभार, वाद–विवाद, दोष आदि से पूर्णतया शुद्ध एवं पवित्र है, फिर भी मुझ निष्पादनकर्ती या वारिसान निष्पादनकर्ती के किसी दोष या स्वामित्व की त्रुटि के कारण विक्रीत आराजी कुल या इसका कोई अंश क्रयकर्ता के कब्जे, काश्त, हक, अधिकार, आदि से निकल जावेगा तो

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

प्रमाणित फोटोप्रति

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN 7[illegible]64

क्रयकर्ता को होने वाली क्षतिपूर्ति का कुल उत्तरदायित्व सव्यय मुझ निष्पादनकर्ता की ही होगा, जो क्रयकर्ता मेंरी अन्य चल–अचल सम्पत्तियों से चाहे जिस प्रकार से वसुल कर लेवें, जिस पर मुझे या मेरे वारिसान को किसी भी प्रकार का कोई उज्र, आपत्ति, ऐतराज नहीं होगा।

जो कि विक्रीत आराजी से अब आज के पश्चात मुझ निष्पादनकर्ती स्वयं या वारिसान निष्पादनकर्ती का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध, सरोकार, वास्ता नहीं रहा है, फिर भी विक्रीत आराजी को लेकर निष्पादनकर्ती स्वयं या वारिसान निष्पादनकर्ती द्वारा किसी भी प्रकार का कोई उज्र, आपत्ति, क्लैम, दावा आदि किया जावेगा तो वह कार्यवाही सर्वथा गलत, शून्य एवं बातिल समझी जावेगी।

जो कि विक्रीत आराजी का राजस्व रिकॉर्ड मुझ निष्पादनकर्ती के नाम से ही चला आ रहा है, जिसे अब क्रयकर्ता अपने नाम से दर्ज करवा लेवें, जिसमें मुझ निष्पादनकर्ती की किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता होगी तो मैं स्वयं उपस्थित होकर राजस्व रिकॉर्ड उक्त क्रयकर्ता के नाम से तब्दील करवा दूँगी।

जो कि विक्रीत आराजी गांव की आबादी से एवं सड़क से काफी दूरी पर है, जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है, मात्र एक फसली भूमि ही है।

अतः यह आलेख विक्रय–पत्र मुझ निष्पादनकर्ती ने होशहवास में बिना किसी नशेपते व बिना किसी दबाब नाजायज के सक्षम साक्षियान की उपस्थिति में तहरीर एवं तकमील कर दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे।

साक्षीगण

1– Shree Bhakti

2– पद्म सिंह

हस्ताक्षर [illegible]कर्ती

महलाद

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN 177965

यह स्टाम्प पेपर विक्रय-पत्र के साथ संलग्न है।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ती

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उप खण्ड अधिकारी) सीकर

क्रमांक : 819-825 /राजस्व/06 दिनांक 04.11.2006

संपरिर्वतन – आदेश

प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन पालवास रोड़, ग्राम नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट तह0 सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू –राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र व पेरा–फेरी बेल्ट कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिये राजस्थान भू–राजस्व संपरिर्वतन) नियम, 1992 के नियम 8(2)(8)(3) व राज्य सरकार नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2000 के अधीन अकृषि प्रयोजनो के लिये इसके द्वारा संस्थानिक संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर ऐज्युकेशन, पालवास रोड़, सीकर गांव – नानी जरिये श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री जोगेन्द्र सिंह सुण्डा जाति जाट सीकर
2	क्या आवेदक अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य है:	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा:	
	(क)ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	नानी, ग्राम पंचायत नानी, तह0 सीकर
	(ख)भूमि का खसरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं. का क्षेत्रफल (हैक्टर में)	ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर
	(ग) प्रत्येक खसंरा सं0 और प्रत्येक खसरा सं0 का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या व0मी0 में)	ख0 नं0 1392/965 रकबा 0.56 हैक्टर अर्थात 5600 वर्ग मीटर
	टिप्पणी :– अकृषिक प्रयोजनो के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शातें हुये रा0 नक्शें में सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	नक्शा की सत्यापित प्रति संलग्न है।
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक रूपान्तरण, शिक्षण कार्य हेतु
5	संदेय प्रीमियम की दर	10.00 रू. प्रति वर्गगज 5000 वर्गगज तक व शेष 1699 वर्गगज का आधी 05.00 रू. प्रति वर्गगज से

प्रमाणित फोटोप्रति
उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

NON JUDICIAL

5000 रुपये SPECIAL ADHESIVE RUPEES FIVE THOUSAND

560270

AJASTHAN

यह स्टाम्प बाबत नगर सुधार न्यास, पटट्ा क्रमांक 172 द्वारा बहक प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन समिति जरिये अध्यक्ष डॉ० पियूष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह० व जिला सीकर राज० के साथ सलग्न रहेगा।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक / NON JUDICIAL

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपए

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

RAJASTHAN

560302

NOV 2014

कोषाधिकारी सीकर

यह स्टाम्प बाबत नगर सुधार न्यास, पट्टा क्रमांक 172 द्वारा बहक प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन समिति जरिये अध्यक्ष डॉ0 पियूष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 व जिला सीकर राज0 के साथ सलग्न रहेगा।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

RAJASTHAN

19 NOV 2014

कोषाधिकारी सीकर

B 738247

यह स्टाम्प बाबत नगर सुधार न्यास, पटट्टा क्रमांक 172 द्वारा बहक **प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्युकेशन समिति जरिये अध्यक्ष डॉ0 पियूष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह जाति जाट निवासी श्यामपुरा तह0 व जिला सीकर राज0** के साथ सलग्न रहेगा।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

नगर सुधार न्यास, सीकर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

आज वर्ष 2014 के माह अगस्त के 13 नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) श्री प्रिंस एकेडमी आफ हायर एज्युकेशन समिति जरिये अध्यक्ष डॉ. सुन्डा पु. गोपालसिंह जाति जाट व्यवसाय श्यामपुरा तह. धोद जिला सीकर (जिन्हें इसके बाद लीजधारक संबोधित ...) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और ... भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। **प्रीमियम राशि 775147/- विकास शुल्क 1023350/-**

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई ... की रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित ... किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड ... संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना ... नानी ... के खसरा संख्या 1663/955, 1666/956 क्षेत्रफल 8159.44 व.ग. में स्थित है और जो ... और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से ... नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक ... लक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में ... रखेगा :–

... नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल ... दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम ... अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 77515/- अक्षरे ... हजार पाँच सौ पन्द्रह रूपये मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय ... (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को ... करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय ... की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखंण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का ... होगा।

... नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विकय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे ... पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या,यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय ... या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

... अवधि :–पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

... का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन,जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी ... किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

... विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा ... पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

... उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य ... आवश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय ... गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी ... मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं ... द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

... के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विकय ... विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये ... की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस ... नहीं की जायेगी।

... के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/बाह्य विकास प्रभारों का कोई ... राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया की भांति लीजधारक से वसूलीय होगा।

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education

LEASE HOLDER	M/s PRINCE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION SAMITI, PALWAS ROAD SIKAR THROUGH PRESIDENT :- Mr. PIYUSH SUNDA S/o GOPAL SINGH R/o SHYAMPURA TEH. DHOD, DIST. SIKAR (RAJ.).
AREA	8159.44 Sq. YARD.
SCALE - 1 in =	10' (Ft.)
KHASRA NO.	$\frac{1663}{955}$ $\frac{1665}{956}$ REVENUE VILLAGE :- NANI, SIKAR

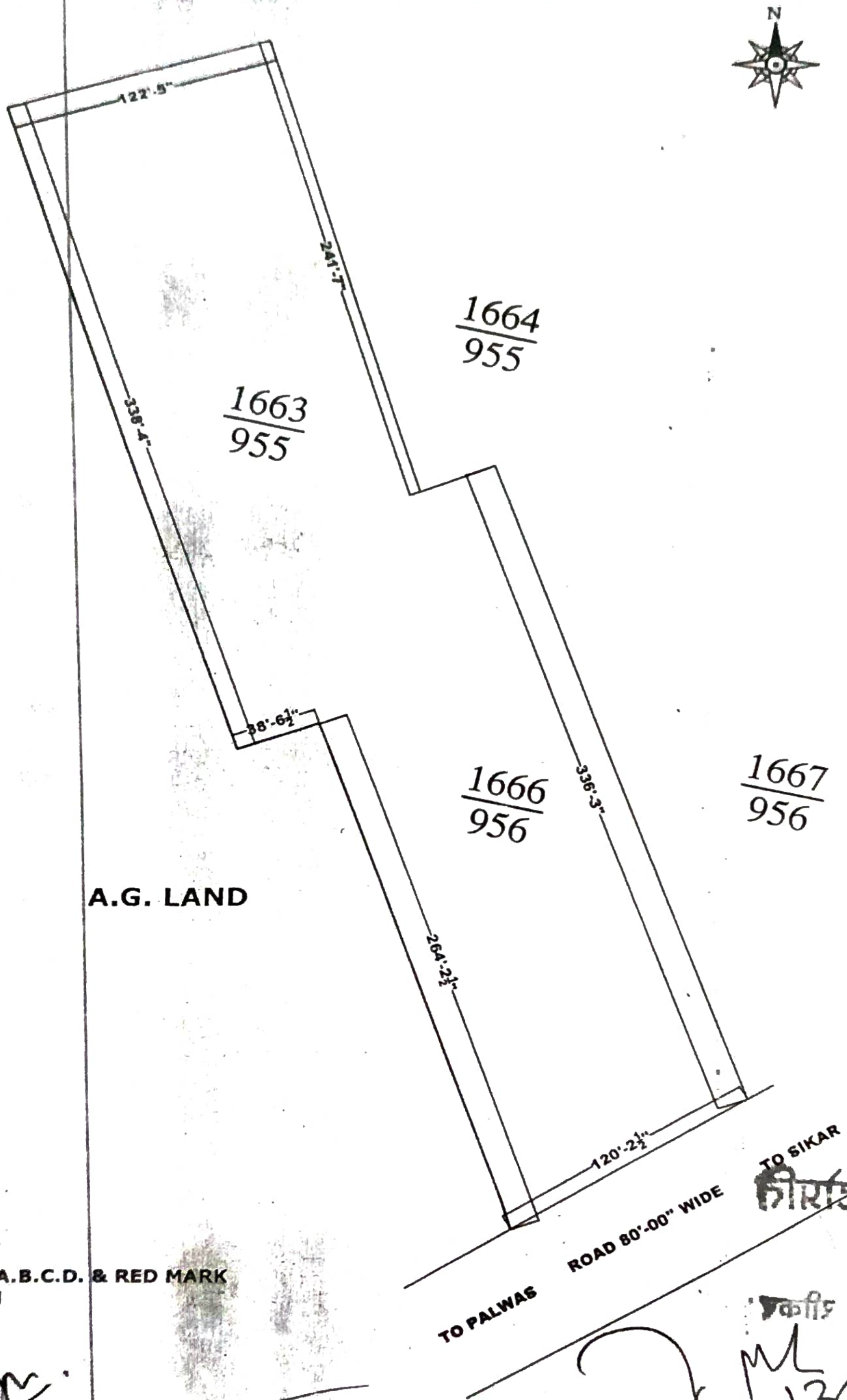

...AREA OF A.B.C.D. & RED MARK
...44 sq. Yard
...2 33 sq. Mtr.

...Engineer
...अभियन्ता
...र सुधार न्यास
सीकर (राज.)

Town Planing
Assistant/ATP

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR

Secretary
सचिव
नगर सुधार न्यास
सीकर (राज.)

Peeyush

12/10/14

प्रमाणित फोटोप्रति

उप पंजीयक, सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Educatio...
Palwas Road, SIKAR

INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

08 SEP 2014

A 110744

यह स्टाम्प किमतन 25,000/– रूपये नगर सुधार न्यास द्वारा जारी संस्थानिक पट्टा विलेख 496 दिनांक 23–.08–2017 प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन पालवास रोड सीकर जरिये अध्यक्ष डां पियुष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुण्डा जाति जाट निवासी ग्रमं श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के साथ संलग्न रहेगा।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 110745

08 SEP 2017

यह स्टाम्प किमतन 25,000/— रूपये नगर सुधार न्यास द्वारा जारी संस्थानिक पट्टा विलेख 496 दिनांक 23—08—2017 प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन पालवास रोड सीकर जरिये अध्यक्ष डां पियुष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुण्डा जाति जाट निवासी ग्रम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के साथ संलग्न रहेगा।

Peeyush

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

06 SEP 2017

A 110737

यह स्टाम्प किमतन 25,000/– रूपये नगर सुधार न्यास द्वारा जारी संस्थानिक पट्टा विलेख 496 दिनांक 23–.08–2017 प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन पालवास रोड सीकर जरिये अध्यक्ष डां पियुष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुण्डा जाति जाट निवांसी ग्रम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के साथ संलग्न रहेगा।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

A 110754

13 SEP 2017

यह स्टाम्प किमतन 25,000/– रूपये नगर सुधार न्यास द्वारा जारी संस्थानिक पट्टा विलेख 496 दिनांक 23–.08–2017 प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन पालवास रोड सीकर जरिये अध्यक्ष डां पियुष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुण्डा जाति जाट निवासी ग्रम श्यामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के साथ संलग्न रहेगा।

साक्षीगण

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

1. रामचन्द्र पुत्र श्री गोपाल राम, जाति जाट निवासी मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर

2. केलाश चन्द गुर्जर पुत्र श्री गुलाबचन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी गुर्जरो की ढाणी तन सेवद बडी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर

सीकर (राज.)

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

पत्रावली संख्या......176......

नगर सुधार न्यास, सीकर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2017 के माह अगस्त के 23 वे दिन नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री प्रिंस एकेडमी ऑफ हायर एज्यूकेशन जरिये अध्यक्ष पीयूष सुण्डा पुत्र श्री गोपाल सिंह सुण्डा जाति जाट व्यवसाय शैक्षणिक निवासी ग्राम श्यामपुरा तह. धोद जिला सीकर (जिनको इसके बाद लीजधारक कहकर संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है। **प्रीमियम राशि** 759040/- **विकास शुल्क** 3390/–

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना – राजस्व ग्राम नानी के खसरा संख्या 1679/958, 1728/958 क्षेत्रफल 5822.47 व.मी. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्ते और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम

   (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 607232 शब्दों में छः लाख सात हजार दो सौ बत्तीस मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विकय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या,यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।

3. पट्टे की अवधि :–पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।

4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन,जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाऐगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।

5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढ़ाई जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।

6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विकय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।

8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

उप पंजीयक सीकर

Secretary
Prince Academy of Higher Education
Palwas Road, SIKAR

...TE PLAN OF LAND KH. NO. 1728/958, 1679/958, AT VILL. NANI

LEASE HOLDER	PRINCE ACADEMY OF HIGHER EDUCATION
THROUGH PRESIDENT :-	DR. PIYUSH SUNDA S/o GOPAL SINGH
R/o Vill.-Shyampura Teh. Dhod, Dist. Sikar	
KHASRA NO.	1728/958, 1679/958
AREA	5822.47 Sq.Mtrs. (6963.61 Sq.Yard)
REVENUE VILL.	NANI
SCALE	1:1300

NOTE:- ALL DIMENSION ARE IN METER

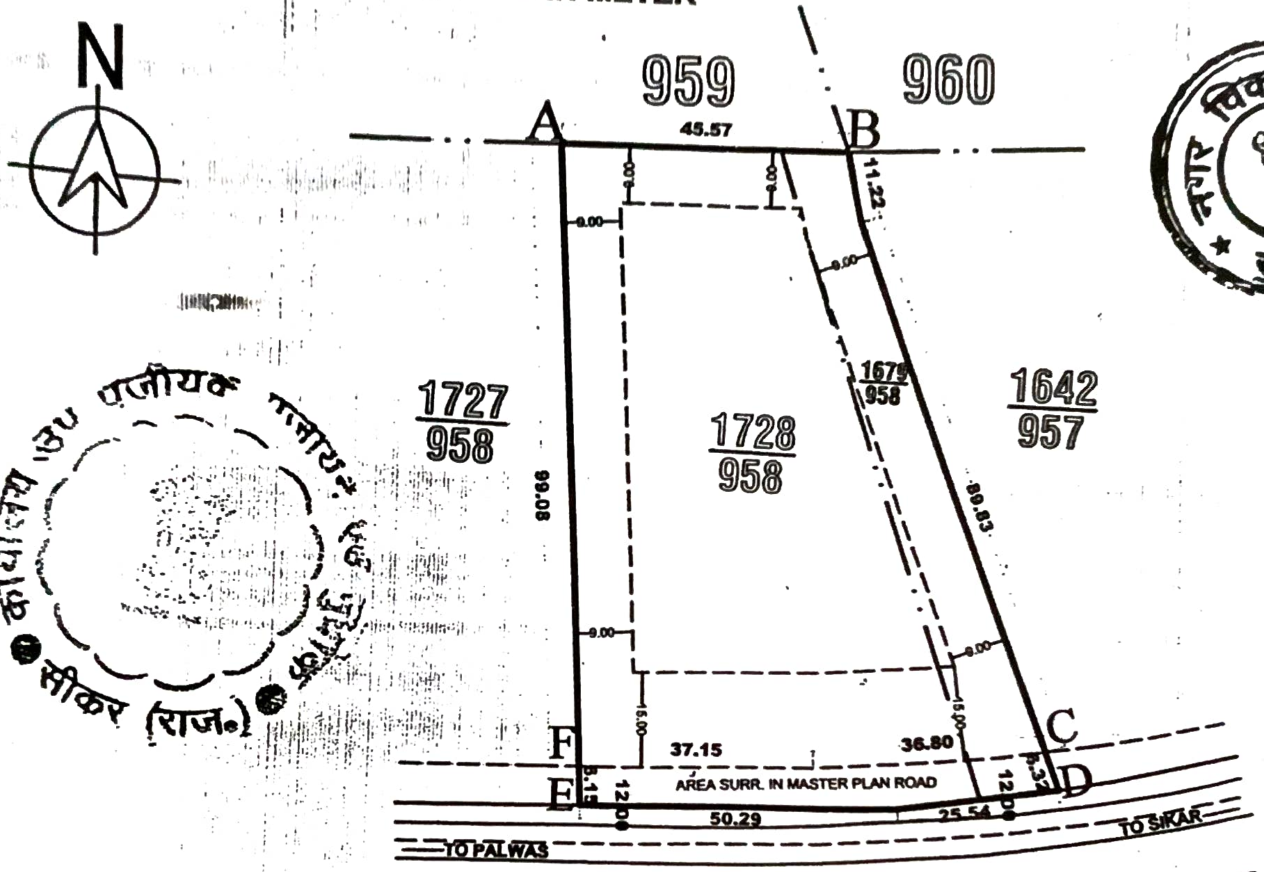

AREA DETAILS:-

TOTAL AREA AS PER REVENUE RECORD (A.B.C.F.)	=6300.00 SQ.MTR.
AREA SURR. IN MASTER PLAN ROAD (F.C.D.E.)	= 447.53 SQ.MTR.
REMAINING AREA FOR LEASE / PATTA (A.B.C.F.)	= 5822.47 SQ.MTR.

J. Engineer
कनिष्ठ अभियन्ता
नगर विकास न्यास, सीकर

Deputy Town Planner
उप नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास, सीकर

Secretary
सचिव
नगर विकास न्यास
सीकर

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR